मिसल नम्बर 08/2021
निर्णय दिनांक 05--03--2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– **08/2021**

सरकार

बनाम

अशोक पुत्र श्री गोरीशंकर जाति ब्राहाम्ण निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 05–03–2021

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर कोई हाजिर नही। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर गैर सायल अशोक पुत्र श्री गोरीशंकर जाति ब्राहाम्ण निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने कूड़ा कचरा डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्मी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस को गैर सायल द्वारा पढ़कर हस्ताक्षर करने से मना करने पर नोटीस की प्रति तामील कुन्नीदा द्वारा गैर सायल के खुले मकान पर चस्पा की जाकर ग्राम के दो व्यक्तियो द्वारा हस्ताक्षर करवाये गये है। जो कि सूचना हेतु पर्याप्त है। बावजूद के गैर सायल अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल अशोक पुत्र श्री गोरीशंकर जाति ब्राहाम्ण निवासी दूधवा खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर कुड़ा कचरा डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है।

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुन्झुनूं (राज.)

मिसल नम्बर 08/2021
निर्णय दिनांक 05–03–2021

अतः पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में गैर सायल की अनुपस्थिति में गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार (खेतड़ी)

इस पत्रावली की मांग कायमी रोल 4 वर्ष 2020-21 पृष्ठ 90 राशि 50/- दर्ज कर ली गई है।

लेखाकार
CRA